हैण्डलूम मार्क

हैण्डलूम

आश्वस्त मूल उत्पाद

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

हैण्डलूम मार्क योजना

पृष्ठभूमि

हथकरघा वस्त्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के रुप में सदा से एक पहचान रहे हैं। एक आर्थिक गतिविधि के रुप में हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है जो लोगों को आजीविका का साधन प्रदान करता है। अनुमान है कि हथकरघा उद्योग से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से 65 लाख लोगों को रोजगार मिलता है और समूचे भारत में लगभग 35 लाख लूम फैले हुए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान हथकरघा कपड़ों का उत्पादन लगभग 6188 मिलियन वर्ग मीटर था और हथकरघा, मिल तथा पावरलूम क्षेत्र सहित कुल कपड़े/वस्त्र के उत्पादन में वर्ष 2005-06 के दौरान हथकरघा का योगदान लगभग 16% होने का अनुमान है।

ऐसी आशा है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और समृद्धि के साथ ही घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अधिक फैलेगा तथा प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ेगी। हथकरघा क्षेत्र छोटे पैमाने पर भी वस्तुओं को व्यावसायिक रुप से उत्पादित करने, नवीनता, नई डिजाइनों को अपनाने में, पूर्तिकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरुप परिवर्तन लाने और अनूठी डिजाइनों का सृजन करने में पावरलूम व मिल क्षेत्रों से कहीं बेहतर क्षमता रखता है ।

हथकरघा क्षेत्र के सामने कई चुनौतियाँ हैं। हालाँकि हथकरघों पर मूलतः सूती वस्त्रों की बुनाई की जाती है, भविष्य में धागा खपत पैटर्न में सूती के साथ साथ अन्य रेशों को भी बराबरी का स्थान मिलने का अंदेशा है । प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही हथकरघा उत्पादों की पावरलूमों पर कम से कम लागत में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही है। जहाँ सरकार का प्रयास समूचे वस्त्र उद्योग की एक समान उन्नति के लिए स्थितियाँ तैयार करने पर है, वहीं वह यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि हथकरघा के लिए भलीभाँति परिभाषित और अलग किये गये ऐसे क्षेत्र हो जिन पर पावरलूमों और मिलों द्वारा अधिकार न जमाया जा सके।

हैण्डलूम मार्क

हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार बुनकरों के हित और कल्याण के लिए बहुत सी विकासात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। ''हैण्डलूम मार्क'' लागू करने का भी प्रस्ताव है जो हथकरघा उत्पादों को एक सामूहिक पहचान देगा है और यह न केवल हाथ से बुने उत्पादों को लोकप्रिय करने में बल्कि खरीदार के लिए इस बात की गारंटी के रुप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा कि जो उत्पाद वह खरीद रहा है वह सचमुच हाथ से बुना गया है। इसके अलावा इस मार्क से उत्पाद या विनिर्माता के नाम की स्पष्ट रुप से पहचान होगी। इस तरह हैण्डलूम मार्क एक सशक्त रचनात्मक कार्य का प्रशस्ति-चिन्ह बन जायेगा जो स्पष्ट रुप से उत्पाद को परिभाषित करता है, उसे प्रतिस्पर्धा से अलग एक पहचान दिलाकर ग्राहकों से जोड़ता है।

हैण्डलूम मार्क तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद को सौंपा गया था । इसके लोगो का आकार- प्रकार ताने और बाने धागों के अंतर्गुथन से प्रेरित है। ये धागे उन सहयोगी संस्थानों का संकेत हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, और उन बुनकरों का जो अपना कौशल प्रदान करते हैं । इन दोनों के बीच तालमेल से एक घनिष्ठ नेटवर्क निर्मित हो रहा है। ताना और बाना को ऐसा गठित किया गया है जिससे एक 'घन' का आकार बन जाता है।

यह मार्क दो रुपों में है । एक घरेलू उपयोग के लिए : इसमें लोगों के नीचे हैण्डलूम लिखा हुआ है और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए : उसी लोगो के नीचे हैण्डवोव्हन इन इंडिया (भारत में हाथ से बुना) लिखा गया है।

योजना के आधारभूत नीतिगत प्रावधान :

दिनांक 7 अप्रैल 2006 को घोषित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के वार्षिक अनुपूरक में उल्लेख है कि ''योजना में अधिसूचित उत्पादों जैसे मूल्य

वर्धित मछली और चमड़ा उत्पादों, स्टेशनरी वस्तुओं, पटाखों, खेल के सामानों, हैण्डलूम मार्क वाले हथकरघा उत्पाद और हस्तकला वस्तुओं के निर्यात कारोबार के 50% को निर्यात के एफओबी मूल्य के 2.5% की दर से ड्यूटी क्रेडिट सुविधा दी गयी है ।''

हैण्डलूम मार्क का विवरण

- सर्टिफिकेशन ट्रेड मार्क के पंजीकरण के लिए ट्रेड मार्क्स अधिनियम, 1999 और साथ ही कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के अंतर्गत आवेदन-पत्र बनाया गया है।
- आसानी से पहचान/वर्गीकरण के लिए प्रत्येक लेबल को उसके पीछे कोड दिया गया है। उदाहरण : घरेलू बिक्री के लिए कपड़े हेतु **डीएफ** और उसके बाद कोड संख्या, घरेलू बिक्री मेड-अप और गारमेंट हेतु **डीएम** और उसके बाद कोड संख्या; निर्यात कपड़े के लिए **ईएफ** और उसके बाद कोड संख्या तथा निर्यात के लिए मेड-अप और गारमेंट हेतु **ईएम** और उसके बाद कोड संख्या।

लेबल लगाने का तरीका :

- एक लेबल हाथ से बुने कपड़े से बनायी प्रत्येक मेड-अप वस्तु और प्रत्येक गारमेंट पर लगाया जायेगा । उपयोगकर्ता लेबल को बांध कर या सिलकर लगा सकते हैं।
- हथकरघे से बुने कपड़े के मामले में एक लेबल कपड़े की तह (थान) के अंदरुनी छोर पर लगाया जायेगा।
- जब कपड़ा ग्राहक को फुटकर (रिटेल) में बेचा जायेगा तब फुटकर विक्रेता कपड़े के कट-पीस पर लेबल लगायेगा।

कार्य-क्षेत्र

- योजना में हथकरघे से बने सभी कपड़ों व उत्पादों को शामिल किया गया है।
- हैण्डलूम मार्क योजना पूरे देश में लागू होगी। वैयक्तिक बनुकर, एपेक्स और प्राथमिक हथकरघा बुनकर को-ऑपरेटिव सोसायटियाँ, मास्टर बुनकर, हथकरघा विकास निगम, फुटकर विक्रेता और निर्यातक योजना में भाग लेने के हकदार हैं और उससे लाभान्वित हो सकते हैं ।

उद्देश्य :

- घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना।
- उत्पाद के उद्‌गम (ओरिजिन) की वास्तविकता के बारे में ग्राहकों को आश्वासन देना।
- हथकरघा बुनकरों की अंतर्राष्ट्रीय विपणन श्रृंखलाओं को सुधारना।
- हथकरघा उत्पादों की पूर्ति श्रृंखला (सप्लाइ चेन) मजबूत बनाना ।
- घरेलू के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हथकरघा उत्पादों की मूल्य उगाही (प्राइज रियलाइज़ेशन) को बेहतर बनाना।
- हथकरघा बुनकर समुदाय की आय में सुधार करना।
- हथकरघा बुनकरों के लिए वर्ष भर बिना रुकावट कार्य उपलब्ध कराना।
- हथकरघा आपूर्ति और बुनकरों पर डाटाबेस तैयार करना जिससे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के माध्यम से और भविष्य में योजनाएँ बनाकर बुनकरों को सहारा दिया जाए।

योजना का कार्यान्वयन :

वस्त्र समिति को देश भर में हैण्डलूम मार्क योजना को कार्यान्वित करने के लिए इम्प्लिमेंटेशन एजेंसी के रुप में नियुक्त किया गया है।

हैण्डलूम मार्क प्राप्त करने की रीतियाँ :

- आवेदन-पत्र (फार्म) वस्त्र समिति के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते हैं। http://textilescommittee.gov.in/
- योजना के दुरुपयोग से बचने के लिए आवेदकों का पंजीकरण वैयक्तिक बुनकरों, एपेक्स और प्राथमिक हथकरघा बुनकर को-ऑपरेटिव सोसायटियों, मास्टर बुनकरों, हथकरघा विकास निगमों, फुटकर हथकरघा विक्रेताओं और निर्यातकों के कार्यस्थल पर सत्यापन के पश्चात किया जायेगा।
- पात्र हथकरघा बुनकरों, मास्टर बुनकरों, सोसायटियों, फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों को आवश्यक शुल्क का भुगतान करने के पश्चात पंजीकृत किया जायेगा उसके बाद एक करारपत्र पर हस्ताक्षर किये जायेंगे।
- निर्यातकों को छोड़कर लेबलों की पूर्ति अनुमानित वार्षिक उत्पादन एवं बिक्री के आधार पर की जायेगी (निर्यातकों को तिमाही आधार पर पूर्ति की जायेगी)।
- पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को मासिक विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क्र.सं	**उपयोगकर्ताओं का विवरण**	**प्रतिवर्ष पंजीकरण शुल्क**
1	वैयक्तिक हथकरघा बुनकर	रु.25/-
2	मास्टर हथकरघा बुनकर	रु.500/-
3	प्राथमिक हथकरघा बुनकर को.ऑप.सोसायटी	रु.2000/-
4	एपेक्स हथकरघा बुनकर को.ऑप.सोसायटी और हथकरघा विकास निगम	रु.5000/-
5	ट्रेडर/फुटकर विक्रेता (घरेलू बाजार)	रु.5000/-
6	विनिर्माता निर्यातक (निर्यात बाजार)	रु.10,000/-
7	व्यापारी निर्यातक (निर्यात बाजार)	रु.10,000/-
8	अन्य	रु.500/-

लेबल का मूल्य :

हैण्डलूम मार्क लेबल पॉलिएस्टर टाफेटा मटेरियल से बनाये जाते हैं । ये लेबल ऐसे स्त्रोतों से प्राप्त किये जायेंगे जो इकोटेक्स (OEKOTEX) 100 स्टैण्डर्ड द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की इको-फ्रेंडली आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। प्रत्येक लेबल का मूल्य 60 पैसे होगा। पंजीकृत उपयोगकर्ता उनके निर्धारित उत्पादन/बिक्री क्षमता के अनुसार लेबलों को खरीदने के हकदार होंगे।

लागू करने के कदम :

- पदाधिकारियों के दल द्वारा निश्चित कालांतर में निगरानी (Surveillance) लेखा परीक्षा।
- बाजार से नमूना खरीद के द्वारा हैण्डलूम मार्क उत्पादों का यादृच्छिक (रॅन्डम) सत्यापन भी किया जायेगा।
- विनिर्माता जब व्यापारी निर्यातकों, फुटकर विक्रेताओं आदि को हथकरघा उत्पादों की पूर्ति करेंगे तब उन्हें अन्य आवश्यक व्यावसायिक दस्तावेजों के साथ-साथ एक स्व-प्रमाणपत्र भी देना पड़ेगा कि उत्पाद हथकरघे पर विनिर्मित किया गया है।
- इसके अलावा हैण्डलूम मार्क के दुरुपयोग के लिए वस्त्र समिति और पंजीकृत उपयोगकर्ता के बीच हुए करारपत्र में दंड की धाराएँ होंगी।
- पहली धारा से प्राथमिक जाँच के बाद उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण रद्द किया जायेगा, इसके बाद तुरंत लेबलों को आगे की जानेवाली पूर्ति रोक दी जायेगी।
- दूसरी धारा से ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के अध्याय XII में दिये प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति/व्यवसायिक संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। इसमें जेल की सज़ा शामिल है जो छह माह से कम नहीं होगी लेकिन जो तीन वर्ष तक बढ़ सकती है और इसके साथ जुर्माना भी है जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जो दो लाख रुपये तक बढ़ सकता है। दूसरी बार और आगे भी दोषी पाये जाने पर दंड और बढ़ेगा ।

- तीसरी धारा से कॉपीराइट, 1957 के अध्याय XIII में दिये प्रावधानों के अनुसार व्यक्ति/सत्ता के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी । दंड का प्रकार ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के समान ही होगा।

उपभोक्ता से संबंधित :

यदि किसी उपभोक्ता को हैण्डलूम मार्क का लेबल लगे किसी उत्पाद की प्रामाणिकता के विषय में संदेह हो तो वह बिल की प्रति और कोड नंबर के साथ वस्त्र समिति से संपर्क कर सकता है। खोज के बाद निष्कर्षों के आधार पर वस्त्र समिति, ट्रेडमार्क्स अधिनियम, 1999 के अनुसार और उपयोगकर्ताओं द्वारा किये गये करारपत्र के अनुसार कार्रवाई करेगी। उपभोक्ता न्यायालय में जाने का विकल्प भी उपभोक्ता के पास है। इस बात को मीडिया के माध्यम से अच्छी तरह प्रचारित किया जायेगा।

वस्त्र समिति, कार्यान्वयन एजेंसी के बारे में:

वस्त्र समिति एक सांविधिक निकाय है जो भारतीय वस्त्र उद्योग में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1963 में संसद के अधिनियम के तहत स्थापित की गयी है। समिति की सेवाएँ देश भर में स्थित 27 कार्यालयों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जिनमें 600 पदाधिकारी योगदान देते हैं। इनमें से 400 तकनीकी योग्यता रखते हैं। ये कार्यालय निम्नांकित स्थानों पर हैं।

सदस्य - सचिव, वस्त्र समिति
पी. बालू रोड, प्रभादेवी चौक,
प्रभादेवी, मुंबई-400 025.
टेलीफोन: 022+66527507,66527500
फैक्स: 022-66527509
ई-मेल: secy@giasbm01.vsnl.net.in
वेबसाइट: http://textilescommittee.gov.in/

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
"अंकुर", दीनाबाई टॉवर के सामने,
मिर्जापुर रोड, लाल दरवाजा,
अहमदाबाद – 380001(गुजरात)
टेलीफोन नं. 079/25507612
फैक्स नं. 079/25507633
ई मेल : tcabd@eth.net

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
(एफ के सी सी आई, डब्ल्यू टी सी बिल्डिंग),
पहली मंज़िल, केम्पेगोवडा रोड,
बंगलौर- 560009 (कर्नाटक)
टेलीफोन/फैक्स नं.:080/22261401.
ई मेल: tcblr@vsnl.net

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
उड़ीसा स्टेट हैण्डलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.,
हस्तन्ता भवन, जनपथ, यूनिट IX,
भुवनेश्वर-751022 (उड़ीसा)
टेलीफोन न: 0674/2543723,
ई मेल : tcbbsr@sify.com

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
नॉर्थ विंग, पहली मंजिल,टी एन एस सी बोर्ड
कॉम्प्लेक्स, 212, आर. के. मठ रोड, मैलापुर,
चेन्नई- 600004. (तमिलनाडु)
टेलीफोन:91-44-24610887/5901/24640240
टेलिफैक्स:91-44-24615901
ई-मेल: tc-chennai@dataone.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
राज चेंबर्स, 978 ए, थडगम रोड,
कोयम्बतूर-641002. (तमिलनाडु)
टेलीफोन नं. 91-422-2473094
फैक्स नं.91-422-2472689
ई मेल: tccbe@dataone.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
3/108, एम.जी.रोड, (मेन रोड),
इकम्बरकुप्पम-517 592,
नागरी मण्डलम , जिला-चित्तूर (आंध्र प्रदेश),
टेलीफोन नं.: 91-8577-234619
ई-मेल: texcomnri@sify.com

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
द्वारा:आन्ध्र प्रदेश कॉटन मिल्स असोसिएशन,
लक्ष्मीपुरम मेन रोड,
गुंतुर-522 007(आन्ध्र प्रदेश)
टेलीफोन नं.: 91-863-2218951.
ई मेल: tcguntur@sify.com

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

पहली मंजिल, युएनआई बिल्डिंग,
डी.नं.10-1-1200, ए.सी. गार्डन
मासब टैंक रोड,
हैदराबाद-500 034
टेलीफोन / फैक्स नं. 91-40-23327153
ई मेल: rotchyd@yahoo.co.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

हॉल नं.1, वार्ड नं.10,
राजाराम स्टेडियम, शिवाजी पुतला के निकट,
इंचलकरंजी- 416115.
टेलीफोन नं. : 91-230-2420838.
ई मेल : tcich@sancharnet.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

सी- 1, एफ - टाइप, इंदिरा काम्प्लेक्स,
विकास टावर, ए.बी. रोड, नवलखा,
इंदौर- 452001
टेलीफोन नं.: 91-731-2401243.
ई मेल: tcindore@vsnl.net

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

एन/एस/ओ/2, नेहरु प्लेस, टोंक रोड,
जयपुर-302015
टेलीफोन नं. 91-141-2405234
ई मेल: tcjaipur@gmail.com

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
प्लॉटिनम सेंटर, दूसरी मंजिल, बैंक रोड,
कण्णूर-670001
टेलीफोन नं. 91-497-2706390
ई मेल: tckannur@dataone.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
117/Q/52, शारदा नगर (काकदेव),
सिंडिकेट बैंक के पास,
कानपुर- 208025.
टेलीफोन नं.: 91-512-2581464
टेली/फॅक्स नं.: 91-512-2582458
ई मेल: tckanpur@dataone.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
केवीआर काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल,
21- जे, 80 फिट रोड,
करुर - 639002.
टेलीफोन/फैक्स नं. 91-4324-274871
ई मेल: kru_tckarur@dataone.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
ब्लॉक-जी.एन, प्लॉट-38/3
सेक्टर -V, सॉल्ट लेक सिटी,
कोलकाता-700 091
टेलीफोन नं.: 91-33-23575202, 23575155
फैक्स : 91-33-23575202
ई मेल :tccal2@vsnl.net

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

48-बी, टैगोर नगर, सिविल लाइन्स,
लुधियाना- 141001.
टेलीफोन/फैक्स नं. 91-161-2474906.
ई मेल: tcludhiana@satyam.net.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

11-बी, जवाहर रोड, चोक्कीकुलम, मदुराई- 625002.
टेलीफोन/फैक्स नं. 91-452-2323303
ई मेल: tcmdu@satyam.net.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

"वृन्दावन",पहली मंजिल, 744,
वेस्ट हाई कोर्ट रोड, धरम पेठ,
नागपुर-440010
टेलीफोन नं. : 91-712-2561564
ई मेल: tcnagpur_ngp@dot.net.

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

39, कम्युनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश,
नई दिल्ली -110065.
टेली/फैक्स नं.011-26483476
ई मेल: tcdek@vsnl.net

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

40, कम्युनिटी सेंटर, फेज-1,
नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया,
नई दिल्ली-110028
टेली/फैक्स: 91-11-25896150
ई मेल: tcnarain@vsnl.net

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
शिव कॉम्प्लेक्स, असन्ध रोड,
रेल्वे क्रासिंग के पास,
पानीपत - 132103.
टेलीफोन नं. 91-180-2658324
ई मेल: tcpanipat@gmail.com

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
एस.के. कॉम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल,
54/598, त्रिचि मेन रोड,
गुगई, सेलम-636 006.
ई मेल: tcsalem@sancharnet.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
162/11,रेल्वे लाइन्स,
सोलापुर-423001
टेलीफोन नं. 91-217-2312698
ई मेल : tcsolapur@sancharnet.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय
ब्लॉक नं. 2(ए), दूसरी मंजिल,
रेशम भवन, लाल दरवाजा,
सूरत-395003
टेलीफोन नं. 91-261-2423167
ई मेल : tcsurat@yahoo.com

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

384,बी. एस. सुंदरम रोड,
तिरुपुर-641601
टेली/फैक्स नं. 91-421-2202500
ई मेल: tctirupur@dataone.in

वस्त्र समिति, क्षेत्रीय कार्यालय

ईयूपीईए, बी - 2, गुरुकृपा कालोनी,
नादेसर, वाराणसी - 221002.
टेलीफोन:91-542-2500616,
ई-मेल:tcvns@sify.com